न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–7 / 2019 (2019 / 00211) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–लक्ष्मीलाल आत्मज बालुराम लखारा निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–गोपाल आत्मज शंकरलाल लखारा निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–कैलाश आत्मज शंकरलाल लखारा निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–पुष्पा पुत्री शंकरलाल लखारा निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–सीता पुत्री शंकरलाल लखारा निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–ग्राम पंचायत बोराणा, पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव / सरपंच साहब
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. जाकिर हुसैन – अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 16.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर की सीमा में प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के दादा बालु आत्मज भगवानलाल लखारा के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 1820 / 11 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। उक्त साबिक आराजी संख्या 1820 / 11 साबिक नक्शे अनुसार एलआकार में तरमीमात होकर बीच में नहर निकली हुई होकर इस आराजी के दक्षिणी पूर्वी कोने से सीधी क्रोस तरमीमात थी व मौके पर प्रार्थीगण की आराजी को दो भागो में बाटती हुई तरमीमात थी और उसी अनुसार प्रार्थीगण व उनके पूर्वज काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी के पडौस जो कि पूर्व में आराजी संख्या 1820मी व 1820ख मीन, पश्चिम में आराजी संख्या 1820 व अन्य भूमि, उत्तर में 1820 / 2क मी व 1820 / 4 मी व दक्षिण में गोरधन की भूमि जो हगामीलाल डांगी से खरीदी थी। नवीन सेटलमेन्ट होने से प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 1820 / 11 रकबा 4 बीघा के नवीन नम्बर 3993 रकबा 0. 53 है0 व 3998 रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 है0 कायम किये गये। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ प्रस्तुत की है। दौरान सेटलमेन्ट प्रार्थीगण कि साबिक आराजी के नवीन नम्बर व रकबा तो सही कायम किये गये किन्तु भू प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियो ने बिना किसी विधिक आदेश प्रार्थीगण की [illegible] में बिगाड़ कर तरमीमात कर दिया व साबिक नक्शे व मौके की स्थिति के [illegible] तरमीमात कर दिया तथा प्रार्थीगण के नवीन नक्शे को छोटा तरमीम करते हुए प्रार्थीगण के [illegible] नक्शे में विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 3987 रकबा 0.08 हेक्टेयर [illegible] व उत्तर की [illegible] पड़ोस जो रामपाल हरिजन का था उसके बावजुद प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3998 [illegible]पाम जी हरिजन की आराजी संख्या 3997 के बीच मै विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 3999 के कुछ रकबा 0.12 हेक्टयर को तरमीम कर फीट कर दिया व प्रार्थीगण की नवीन आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:58 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 3998 की पश्चिमी भुजा व नहर साबिक नक्शे मे बिल्कुल सीधी तरमीम होने के बावजुद भी प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3998 की पश्चिमी भुजा व नहर को घुमावदार आकृति मै तरमीम कर दिया। जिससे प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 3998 व 3993 के नवीन नक्शे को साबिक नक्शे व मौके की स्थिति के विपरीत व गैर कानुनी व अवैधानिक तरीके से बिगाड़ते हुए तरमीमात कर दिया। जिसको दुरस्त कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण के साबिक नक्शे पर नवीन नक्शे को तुलनात्मक विवेचना करते है तो विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 3987 रकबा 0.08 हैक्टयर भूमि व विपक्षी संख्या एक की ही आराजी संख्या 3999 रकबा 1.02 हेक्टेयर का 0.12 हैक्टेयर रकबा जो प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3998 के उतरी तरफ गलत फीट किया गया है को प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज किया जावे व इसकी एवज में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3998 रकबा 0.33 है0 को पश्चिम भूजा को व नहर को सीधी व सही तरमीम कर इसका 0.20 है0 भूमि रकबा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज कराया जावे तो प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 का नवीन नक्शा साबिक नक्शे के अनुरूप दर्ज हो जायेगा। इस गलत तरमीमात के आधार पर नाजायज लाभ उठाकर विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 23.07.2019 को प्रार्थीगण को साबिक नक्शे अनुसार चले आ रहे कब्जे को अतिक्रमण बता कर नोटिस दे दिया जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर विवश होना पड़ा है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3998 व 3993 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 है0 भूमि नवीन नक्शे को इसके साबिक आराजी संख्या 1820/11 रकबा 4 बीघा के मुताबिक व मौके की स्थिति के अनुरूप तरमीम कराने हेतु विपक्षी संख्या 1 की नवीन आरजी संख्या 3987 रकबा 0.08 है0 को तथा विपक्षी संख्या 1 की ही आराजी संख्या 3999 रकबा 0.12 है0 रकबा जो प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 3998 के उत्तर में साबिक नक्शे में होकर प्रार्थीगण का कब्जा आ रहा को प्रार्थीगण के नाम दर्ज कराया जावे व इसके एवज में प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 3998 की पश्चिमी भूजा को सीधी तरमीम कर 0.20 है0 जिस पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है को विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज कराया जावे व साथ ही नहर को साबिक नक्शे के मुताबिक व मौके की स्थिति के अनुरूप पश्चिमी दक्षिणी कोने से उत्तरी पूर्वी कोने में घुमावदार के बजाय सीधी व क्रोस तरमीम करने व इन्द्राज दुरस्ती का आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 17.10.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जो शामिल है। विपक्षी कमांक 2 की और से प्रकरण में जवाब के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली हैं।

विपक्षी संख्या 1 की आरे अपने जवाब में अकंन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को गलत बताते हुए अस्वीका[illegible] प्रार्थीगण की साबिक आराजी 1820/11 को साबिक नक्शे में उसकी सीमा [illegible] दर्ज नही किया तथा मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वा[illegible] नम्बर एवं नवीन नक्शे को तरमीम किया गया। प्रार्थीगण द्वारा [illegible] गये है जो गलत है। प्रार्थीगण की साबिक आराजियात नक्शे में कहीं [illegible] नही थी और जहां 1820/11 दर्ज किया गया है उस अनुसार अन्य आराजियात मेल नही खाती है। प्रार्थीगण की नवीन आराजी का नक्शा छोटा नही किया है और रकबा पुरा दर्ज है। ग्राम पंचायत की भूमि एक चक के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:58 IST
Reason: SelfAttested

रूप में है इसके साथ ही प्रार्थीगण द्वारा जो अनाधिकृत कब्जा किया गया उसको विपक्षी संख्या 1 के द्वारा हटा दिया गया है। विपक्षी की आराजी संख्या 3999 व 3987 की किस्म आबादी भूमि है तथा विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत जिसने नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाकर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का कब्जा हटाया है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही है। और मजीद कथन के रूप में भी इसी बात को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण विपक्षी 1 की आराजी संख्या 3987 का रकबा 0.08 है0 व 3999 का रकबा अपने नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की है जो प्रार्थना पत्र मे प्रदान नही की जा सकती है। प्रार्थीगण को विपक्षी की सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी और इसी के साथ प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 प्रस्तुत किया उसको भी इन्ही जवाब के आधार पर और काउन्टर प्रार्थना पत्र के माध्यम से सव्यय खारीज फरमाया जाकर विपक्षी के पक्ष में प्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया गया।

तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थीगण के नाम ग्राम बोराणा में आराजी संख्या 3993 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 3998 रकबा 0.33 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है प्रार्थीगण के उत्तर पश्चिम की तरफ आराजी संख्या 3999 रकबा 1.02 है0, आराजी संख्या 4008 रकबा 1.05 है0 एवं आराजी संख्या 3987 रकबा 0.08 है0 गै.मु. आबादी होकर विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत बोराणा के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौके पर वर्तमान नक्शा व कब्जे अनुसार प्रार्थीगण आराजी सख्ंया 3993 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 3998 रकबा 0.33 है0 एवं आराजी संख्या 3999 रकबा 1.02 है0 मे से करीब 0.12 है0 भूमि पर काबिज है। मौके के मध्य में आराजी संख्या 3994 रकबा 0.46 है0 गे.मु. नहर निकली हुई है जो नक्शे में दर्ज है। प्रार्थीगण मौके पर विपक्षी के नाम दर्ज आराजी संख्या 3999 रकबा 1.02 है0 मे से करीब 0.12 है0 रकबा पर काबिज है मौके पर पत्थर पड़े हुए है व मिट्टी की डोल डाल रखी है। प्रार्थीगण साबिक आराजी संख्या 1820 / 11 रकबा 4 बीघा अनुसार साबिक नक्शे अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम चाहता है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण को पूर्व मे पटवारी हल्का द्वारा पास बुक भी जारी की गई जिसमें नक्शा ट्रेस चस्पा है वर्तमान में प्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यो के साथ में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि विपक्षी के नाम जो भूमि है वो आबादी भूमि है और प्रार्थीगण द्वारा आबादी भूमि पर जो कब्जा किया गया था उसको ग्राम पंचायत के द्वारा कोरम में प्रस्ताव लेकर हटा दिया गया प्रार्थीगण के ... कार्ड है उतने ही रकबे पर काबिज होकर उपभोग कर रहा है और खातेदारी ... के अलावा विपक्षी 1 की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना चाहता है और रेकार्ड में दुरु... कराना चाहता है जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार से बहार है प्रार्थीग... संख्या 1820 / 11 को साबिक राजस्व नक्शे में कही भी सीमा नही दर्शा रखा है केवल नम्बर दर्ज कर रखे है जो प्रार्थना पत्र में वर्णित पड़ौस से भिन्न है। प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर दिया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:58 IST
Reason: SelfAttested

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र के साथ में राजस्व नक्शा की प्रमाणित प्रति पेश की गई उसके प्रार्थीगण की आराजी की पूर्ण रूप से कही तरमीम नही है प्रार्थीगण के द्वारा जो अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित पड़ौस दर्शाये गये है वो साबिक नक्शे से मेल नही खाते है प्रार्थीगण के द्वारा जो दौराने बहस पासबुक प्रस्तुत की गई उसमें जो नक्शा ट्रेस तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दर्शाया गया है जो 152.5 फीट की जरीब के पैमाने का दर्शाया गया है जो बीघा बिस्वा के रूप मे है नवीन भू प्रबन्ध के दौरान खातेदारो के नाम पर जो आराजी दर्ज रेकार्ड होती है उसी मूल खसरा नम्बर में जहां पर खातेदार का कब्जा होता है उसी अनुरूप भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदार के नाम पर नवीन नम्बर दर्शाया गया इस प्रकरण में प्रार्थीगण का दौराने सेटलमेन्ट जो कब्जा मौके पर था उसी अनुरूप राजस्व नक्शे में तरमीम कर नवीन नम्बर दर्ज किये गये है और जितना साबिक रेकार्ड में रकबा दर्ज था उसी अनुपात में वर्तमान में मौके पर प्रार्थीगणो का कब्जा है। दौराने भू प्रबन्ध अगर प्रार्थीगण का कब्जा प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया है उस अनुसार मौके पर होता तो भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भी राजस्व नक्शे मे उसी अनुरूप तरमीम करते हुए वनीव नम्बर दिया जाता था। प्रार्थीगण भू प्रबन्ध के बाद मौके पर रिक्त पड़ी आबादी क्षैत्र पर अनाधिकृत कब्जा करने की चेष्टा की गई जिसको ग्राम पांचयत के द्वारा कोरम में प्रस्ताव लिया जाकर अनाधिकृत कब्जा हटा दिया गया है। प्रार्थीगण खातेदार कृषक है जो राजस्व न्यायालय की क्षैत्राधिकार की भूमि है विपक्षीगण के नाम दर्ज भूमि आबादी क्षैत्र की है जिसमें किसी प्रकार का संसोधन धारा 136 के अन्तर्गत नही किया जा सकता है। अगर प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि मौके पर राजस्व नक्शे में कम पायी जाती और प्रार्थीगण का कब्जा खाते में दर्ज रकबे के अनुरूप पाया जाता तो राजस्व नक्शे में जितना रकबा कम होता उतने रकबे की सीमा तक राजस्व नक्शे की दुरस्ती इस धारा के तहत् की जा सकती किन्तु इस प्रकरण में प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि अनुसार नक्शा सही पाया गया और मौके पर प्रार्थीगण अपने नाम भूमि पर काबिज है उस रकबे के अतिरिक्त आबादी भूमि पर कब्जा कर रखा है उसको अपनी खातेदारी भूमि में सम्मिलित कराना चाहता है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे की सीमा से अधिक होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेकार्ड से विपरीत होने पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं सपठित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 धारा 151 सी.पी.सी. रेकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार नही होने अस्वीकार किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:58 IST
Reason: SelfAttested

16.2.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा